न्यायालय जिलाकलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र कुमार

आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 96/2023

अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार संघ दौसा (राज.) प्रजापति छात्रावास, एन.एच. 11 ए, पैट्रोल पम्प के सामने, लालसोट रोड, दौसा (राज.) जरिये:—

1. मूलचन्द पुत्र श्री छोटूलाल जाति कुम्हार निवासी बाबाजी की छावनी, दौसा, तहसील व जिलादौसा राज.
2. मोहन लाल पुत्र श्री मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी वैष्णव नगर, दौसा तहसील व जिला दौसा राज.
3. बाबू लाल पुत्र श्री छोटे लाल जाति कुम्हार निवासी बाबाजी की छावनी, दौसा, तहसील व जिला दौसा राज.
4. बिरधी चन्द पुत्र श्री नन्दाराम जाति कुम्हार निवासी बाबाजी की छावनी, दौसा, तहसील व जिलादौसा राज.
5. जगन्नाथ पुत्र श्री मूलचन्द जाति कुम्हार निवासी बाबाजी की छावनी, दौसा, तहसील

.... प्रार्थीगण

बनाम

1. रामप्रकाश शर्मा पुत्र श्री केदार प्रसाद
2. चन्द्र शेखर पुत्र पुत्र श्री केदार प्रसाद
3. महेन्द्र कुमार पुत्र पुत्र श्री केदार प्रसाद
4. लक्ष्मीकान्त पुत्र पुत्र श्री केदार प्रसाद

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी व्यास मौहल्ला, तहसील व जिला दौसा राज0

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिलादौसा

...अप्रार्थीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभ्यावेदन बाबत माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.10.2023 सिविल रिट पिटीशन सं0 12777/2016 उनवानी अखिल भारतीय कुम्भकार संघ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान की पालना में सुनवाई कर माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभजी की खातेदारी भूमि की विधि विरूद्ध तरीके से परिवर्तित कर अप्रार्थीगण के नाम अवैघ खातेदारी में लगाई गई मंदिर की भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभ जी की खातेदारी में लगवाने बाबत तथा जालसाजी कर की गई खातेदारी परिवर्तन की कार्यवाही में लिप्त राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करने बाबत।

उपस्थित: 1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओरसे।

2. श्री उमेश कुमा[illegible] जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 4 की ओर से।

3. श्री राजेश कुम[illegible]क्ता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:49:25 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनां[illegible]07.2024

Devendra

जिला कलेक्टर, दौसा

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं0 12777/2016 प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय राज0 उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने दिनांक 18.10.2023 को आदेश पारित कर विवाद के बिन्दुओं पर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर स्पीकिंग आदेश पारित करने के निर्देश प्रदान किये गये है।
2. उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार दौसा से तथ्यात्मक टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि वाके ग्राम दौसा कलां में स्थित भूमि खसरा नंबर 2236, 2246, 2249 से 2253 कुल किता 7 रकबा 4.87है. स्थित है। उक्त भूमि के पूर्व में खसरा नंबर 904, 909, 910 कुल रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा थे तथा उक्त भूमि की खातेदारी माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभजी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा पुजारी नारायण लाल पुत्र छाजूलाल का नाम दर्ज था परन्तु अप्रार्थीगण के पूर्वज ने उक्त मंदिर श्री जानकी वल्लभजी के नाम की खातेदारी भूमि को राजस्व कर्मचारियों से मिल कर गलत तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली। अप्रार्थीगण ने व उनके पूर्वजों के नाम की गई गलत खातेदारी के इन्द्राज को दुरूस्त करवा कर मंदिर श्री जानकी वल्लभजी के नाम करवाने के लिए प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के समक्ष एक एस0बी0 सिविल याचिका संख्या 12777/2016 उनवानी अखिल भारतीय कुम्भकार संघ बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया गया तथा दिनांक 18.10.2023 को अन्तिम निस्तारंण कर प्रकरण को श्रीमानजी के समक्ष अभ्यावेदन देने तथा श्रीमान द्वारा 3 माह की अवधि में स्पीकिंग ऑर्डर पारित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है तथा श्रीमान के निर्णय पारित किये जाने तक अन्तरिम आदेश दिनांक 18.10.2023 को प्रभावी रखा गया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.10.2023 की पालना में प्रार्थीगण द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.10.2023 की प्रति के साथ अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाके ग्राम दौसा कलां में स्थित भूमि खसरा नंबर 2236, 2246, 2249 से 2253 कुल किता 7 रकबा 4.87है. जो कि पूर्व में मंदिर श्री जानकी वल्लभ जी की खातेदारी कीं भूमि रही है, उसकी अवैध तरीके से अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के नाम किये गये अवैध खातेदारी के अंकन को हटाकर मंदिर श्री जानकी वल्लभजी के नाम पुनः खातेदारी दर्ज करने के आदेश फरमावें। साथ ही जालसाजी कर की गई इस अवैध खातेदारी परिवर्तन की कार्यवाही में लिप्त राजस्व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करावें। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 18.10.2023 की पालना में राजस्व रिकार्ड पर स्टे के नोट का अंकन करवाने के आदेश प्रदान करावें।
4. अधिवक्तागण अप्रार्थी सं0 1 से 4 ने संयुक्त रूप से दलील दी कि उक्त वादग्रस्त आराजी ठिकाना राज सवाई [illegible] राजस्व रिकार्ड संवत 1984 के अनुसार खातेदारी छाजूलाल वल्द रामव[illegible] ब्राहमण के नाम दर्ज रही। राजस्व रिकार्ड के अनुसार पुराने [illegible] 904 [illegible] नंबर 2236 व 2253 बने है और उक्त भूमि गेटोलाव [illegible] रकबा 19 बीघा है तथा उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:49:25 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रही है तथा वर्तमान में भी अप्रार्थीगण के नाम ही दर्ज है। उक्त भूमि के समीप कोई मंदिर नहीं है। संवत 2024 से 2027 तक उक्त भूमि नारायण लालपुत्र छाजूलाल और उसके पश्चात की जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में उक्त भूमि केदार प्रसाद पुत्र नारायण के नाम दर्ज रही है और उसके बाद की जमाबंदी संवत 2072 से 2075 में अप्रार्थीगण रामप्रकाश शर्मा, चन्द्रशेखर शर्मा, महेन्द्र कुमार शर्मा एवं लक्ष्मीकान्त शर्मा पि. केदार प्रसाद शर्मा के नाम दर्ज है। भूलवश कुछ समय के लिए एकीकरण के दौरान उक्त भूमि माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभजी पुजारी नारायण लाल पुत्र छाजूलाल का नाम एकीकरण विभाग द्वारा जारी रिकार्ड में दर्ज कर दिया जिसका कानूनन कोई महत्व नहीं है। क्योंकि एकीकरण या भूप्रबंध विभाग को भूमि की किस्म या खातेदारी अधिकारों को बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीगण ने एकीकरण विभाग द्वारा कुछ समय के लिए की गई भूल को आधार मानकर भूमि की खातेदारी प्राप्त करने हेतु याचिका प्रस्तुत की गई लेकिन उक्त याचिका में विवादित बिन्दु होने एवं भू–प्रबंध विभाग को खातेदारी में परिवर्तन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होने के कारण रिट याचिका निरस्त कर दी गई। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि के समस्त अधिकार, स्वामित्व आदि प्रार्थीगण में निहित है। विवादित भूमि हाल खसरा नंबर 2236, 2246, 2249 से 2253 कुल किता 7 रकबा 4.87है. वाके ग्राम दौसा वर्तमान में अप्रार्थीगण चन्द्रशेखर, महेन्द्रकुमार, रामप्रकाश, लक्ष्मीकान्त पि. केदार प्रसाद के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है एवं मौके पर खातेदारान अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि के संवत 1984 के खसरा नंबर 1857, 1858, 1860, 1861, 1862, 1851, 1852, 1848, 1853 कुल किता 8 रकबा 19 बीघा 5 बिस्वा अप्रार्थीगण के पूर्वज छाजूलाल वल्द रामकुवार कौम ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त की भूमि थी जो संवत 1984 में खाता संख्या 439 पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा संवत 1984 के पश्चात उक्त भूमि के खसरा नंबर 2105, 2108 से 2110, 2112, 2113 कायम किये गये तथा खतौनी संवत 2003 में उक्त भूमि की खातेदारी नारायण वल्द छाजूलाल कौम ब्राह्मण के नाम दर्ज थी जो खतौनी संवत 2003 में खाता सं. 431 पर दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार भूमि कभी भी मंदिर जानकी वल्लभजी की भूमि नहीं थी। वरवक्त एकीकरण संवत 2019 में उक्त भूमि के खसरा नंबर 904, 909, 910 कायम किये गये तथा दौराने एकीकरण सैटलमेंट विभाग की गलती संवत 2019 की खतौनी में उक्त भूमि का अंकन माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभ पुजारी नारायण लाल पुत्र छाजूलाल कौम ब्राह्मण के नाम अंकन कर दिया जो अवैधानिक रूप से गलत रूप से अंकन कर दिया जिसका कोई कानूनी महत्व नहीं है क्योंकि एकीकरण या भू–प्रबंध विभाग को भूमि की किस्म अथवा खातेदारी अधिकारों को बदलने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। किन्तु गलत रूप से अंकन कर मंदिर श्री जानकी वल्लभजी के नाम दर्ज कर दी जिस बाबत राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलती का अहसास होने पर वापिस सही दुरूस्त कर उक्त भूमि संवत 2024–2027 की जमाबंदी में नारायण लाल पुत्र छाजूलाल के नाम वास्तविक रूप से सही दर्ज कर दी तथा नारायण लाल पुत्र छाजूलाल के निधन के पश्चात उक्त भूमि की खातेदारी केदार प्रसाद पुत्र नारायण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हो गयी तथा केदार प्रसाद के निधन के पश्चात उक्त भूमि का विधिवत नामान्तरण खुलकर केदार प्रसाद के पश्चात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा भूलवश एकीकरण संवत 2019 के दौरान सैटलमेंट विभाग द्वारा किये गये अवैध अंकन को आधार बनाकर भूमि को मंदिर श्री जानकी वल्लभजी की

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:49:25 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

भूमि बताकर प्रकरण माननीय न्यायालय में पेश किया गया है जबकि साबिक रिकार्ड से कहीं भी यह सिद्ध नहीं है कि उक्त भूमि कभी मंदिर जानकी वल्लभजी की रही हो बल्कि शुरू से ही भूमि निजी खातेदारी की अप्रार्थीगण की रही है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी यह सिद्ध होता है कि भूमि निजी खातेदारी की भूमि रही है तथा मंदिर का कहीं उल्लेख नहीं है तथा वर्तमान में भूमि के पास कहीं कोई मंदिर श्री जानकी वल्लभजी का स्थित नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन किसी भी प्रकार से पोषणीय नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका सं0 12777/2016 में भी राजस्थान सरकार तहसीलदार दौसा द्वारा विस्तृत जवाब पेश कर उक्त भूमि को मंदिर की भूमि नहीं माना था तथा साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार निजी खातेदारी की भूमि माना है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार का अधिकार नहीं है कि उक्त भूमि के संबंध में जबरन मंदिर की भूमि घोषित करवाने का प्रयास करे क्योंकि भूमि निजी खातेदारी की भूमि है तथा साबिक रिकार्ड से भली भांति सिद्ध है कि विवादित भूमि मंदिर माफी की भूमि कभी नहीं रही तथा ना ही राजस्व रिकार्ड में कभी कोई अंकन रहा है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि के समस्त अधिकार स्वामित्व इत्यादि अप्रार्थीगण में निहित है तथा राजस्व रिकार्ड में वर्तमान इन्द्राज बिल्कुल सही व दुरूस्त होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आरबीजे (4) 1997 पेज 167 की प्रति प्रस्तुत की।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में दलील दी कि मिसल बंदोबस्त संवत 2003 में मुताबिक रिकार्ड उक्त खसरा नंबरान के साबिक नंबर 2205, 2108, 2109, 2110, 2112, 2113 है। मिसल बंदोबस्त संवत 2003 में उक्त भूमि माफी सूर्यनारायण वल्द छाजूलाल कौम ब्राह्मण सा. देह दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण संवत 2019 में मुताबिक रिकार्ड उक्त खसरा नंबरान के साबिक नंबर 904, 909, 910 है। एकीकरण संवत 2019 में उक्त भूमि माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभजी पुजारी नारायण लाल पुत्र छाजूलाल कौम ब्राह्मण खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड थी। मुताबिक जमाबंदी संवत 2024 से 2027 के खाता सं. 221 अनुसार उक्त भूमि नारायण लाल पुत्र छाजूलाल कौम ब्राह्मण सा0देह दर्ज रिकार्ड है। खसरा पत्रक संवत 2037 अनुसार उक्त खसरा नंबर की भूमि के कॉलम नं0 22 नाम कृषक (गत भू–माप) पिता का नाम, जाति निवास स्थान व श्रेणी कृषक में नारायण पुत्र छाजूलाल जाति ब्राह्मण सा.देह खातेदार व कॉलम सं0 23 नाम कृषक (वर्तमान) पिता का नाम, जाति, निवास स्थान व श्रेणी कृषक अथवा कृषि काल में केदार प्रसाद पुत्र नारायण कौम ब्राह्मण सा.देह खातेदार व कॉलम नंबर 25 विशेष विवरण में आदेश श्रीमान ए.एस.ओ. पर्चा नं0 220 अनुसार अमल किया गया। प्रश्नगत भूमि नामान्तरण सं0 77 दिनांक 2.11.1958 के द्वारा माफी भोग मंदिर जानकी वल्लभ एतमाम पुजारी नारायण पुत्र छाजूलाल ब्राहमण सा0देह के नाम दर्ज करना स्वीकार हुआ, जिससे एकीकरण संवत 2019 में माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभजी पुजारी नारायण लाल पुत्र [illegible] सा.देह खुदकाश्त दर्ज रिकार्ड हुई। प्रश्नगत भूमि संवत हाल बंदोबस्त सं[illegible]–2060 अनुसार अप्रार्थीगण के पिता केदार प्रसाद पुत्र नारायण [illegible] खातेदार के नाम दर्ज थी। जमाबंदी संवत 2064 से 20[illegible] मुताबिक [illegible]ा.सं. 1469 विरासत व नामा.सं. 1536 जरिये हकत्याग अप्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई [illegible] आदिनांक तक दर्ज रिकार्ड है।

6. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:49:25 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

7. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्थान सरकार का परिपत्र कमांकः राज–6/2007/14 दिनांक 24.5.2007 अवलोकनीय है जिसमें निम्नलिखित अंकित हैः–

"राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अव्यस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है।"

"जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी, उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। मंदिर मूर्ति निरन्तर अव्यस्क व अन्य किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। ऐसे प्रकरणों में जिसमें मंदिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है, उनके निरस्तीकरण की कार्यवाही सक्षम न्यायालय में रैफरेन्स की कार्यवाही की जावे।"

"मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गई थी तथा राज0 भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुर्नग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुर्नग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मंदिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।"

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

"ऐसी भूमि के संबंध में जो माफी मंदिर की थी के संबंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार, या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार हैः–

" जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार–जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या अन्य रूप में जिसमें यह अर्न्तनिहित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त है, दर्ज है, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।"

जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार के नाम दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मंदिरों के नाम दर्ज किया जाना [illegible] रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों के नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:49:25 IST
Reason: SelfAttested

8. हमारे समक्ष तहसीलदार [illegible] 7.3.2024 कमांकःभू.अ./2024/708 एवं संलग्नदस्तावेज अवलोकनीय है जिससे निम्न तथ्य हमारे समक्ष आते हैः–

मिसल बंदोबस्त संवत 2003 प्रस्तुत है जिसमें उक्त भूमि के खसरा नंबर 2205, 2108, 2109, 2110, 2112, 2113 जिसमें उक्त भूमि माफी सूर्यनारायण वल्द छाजूलाल कौम ब्राह्मण सा.देह नाम दर्ज है। इन्द्राज इस प्रकार हैः–

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

नाम थोक व पट्टी मय नाम पटेलान	नाम खातेदार मय वल्दियत व सकूनत	खसरानंबर
—	माफी सुर्यनारायण वल्द छाजूलाल कौम ब्राह्मण सा.देह	2105 2108 2109 2110 2112 2113

उक्त मिसल बंदोबस्त से यह सिद्ध होता है कि उक्त भूमि माफी की रही है। इसके उपरांत एकीकरण संवत 2019 के मुताबिक भूमि के खसरा नंबर 904, 909, 910 है। एकीकरण संवत में उक्त भूमि माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभजी पुजारी नारायण लाल पुत्र छाजूलाल कौम ब्राह्मण सा. देह एवं खुदकाश्त के रूप में दर्ज रही है जिसका इन्द्राज इस प्रकार है:—

नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवासस्थान	नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवासस्थान	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति, निवासस्थान, कृषक व कृषि काल	खसरा
माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभजी पुजारी नारायण लाल पुत्र छाजूलाल कौम ब्राह्मण सा. देह	—	खुदकाश्त	904 909 910

Web Copy - Not Official

नामान्तरण संख्या 77 के द्वारा तथा एकीकरण संवत 2019 के रिकॉर्ड से यह सिद्ध होता है कि उक्त माफी मंदिर की जमीन माफी मंदिर के नाम खुदकाश्त के रूप मे दर्ज रही है। नामान्तरण सं0 77 में निर्णय पारित किया गया है कि:—
" आज जलसे आम में बतस्दीक भोंरीलाल पटेल पेश हुआ। मुताबिक आदेश तहसील जरिये पत्र नंबर 1600 व तारीख 5.09.1958 माफी बदस्तूर रखी जावे व माफी सूर्यनारायण पुत्र छाजूलाल कौम ब्राहमण सा.दे. के बजाय इन्द्राज माफी भोग मंदिर ज़ानकी वल्लभ एहतमाम पुजारी नारायण पुत्र छाजूलाल ब्राहमण सा.दे. दर्ज किया जावे। अतः जदीद इन्द्राज स्वीकार है।"

इसके उपरांत संवत 2024 से 2027 मे अवैधानिक रूप से उक्त भूमि नारायण लाल पुत्र छाजूलाल कौम ब्राहमण के नाम दर्ज कर दी गई। खसरा पत्रक संवत 2037 के अनुसार भूमि केदार प्रसाद पुत्र नारायण के नाम दर्ज हो गई। बंदोबस्त संवत 2041 से 2060 केदार प्रसाद पुत्र नारायण के नाम दर्ज रही है एवं जमाबंदी संवत 2064 से 2067 नामान्तरण [illegible] बकत्याग अप्रार्थीगण के नाम रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:49:25 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों एवं उपरोक्त वर्णित राजस्व विभाग के परिपत्र अनुसार जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मंदिर के नाम से जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी, उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है एवं केवल वह भूमि जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी, उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुए खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। संवत 2019 में उपरोक्त विवादित भूमि माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभजी पुजारी नारायण लाल पुत्र छाजूलाल कौम ब्राह्मण के नाम खुदकाश्त के रूप में दर्ज रही है एवं उक्त भूमि पर कोई व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का हकदार नहीं था। यहाँ उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है कि संवत 2003 में भी उक्त भूमि माफी के रूप में दर्ज रही है। अतः संवत 2019 के बाद जमाबंदियों में जो खातेदारों के नाम दर्ज किये गये है वे नियम विरूद्ध प्रतीत होते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रकरण रैफरेन्स योग्य पाया जाता है। प्रश्नगत भूमि को पुनः माफी मंदिर श्री जानकी वल्लभजी के नाम दर्ज करने हेतु राजस्व मंडल राज0 अजमेर को रैफरेन्स किया जाता है। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 12.8.2024 को माननीय राजस्व मंडल, अजमेर में उपस्थित होवें। तहसीलदार दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि विवादित आराजी पर रैफरेन्स का नोट जमाबंदी में अंकन करवाना सुनिश्चित करे।

Web Copy - Not Official

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 10 जुलाई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.11.04 16:49:25 IST
Reason: SelfAttested